RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-07
July-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i07.026

भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति

कुमार माधव

Associate Resource Person at Azim Premji Foundation Dungarpur Rajasthan

भारत की विविधता ही इसकी पहचान है और इस विविधता में ही एकता समायी हुई है। यह विविधता कई स्तर पर दिखाई देतीहै। भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषिक विविधता महत्त्वपूर्ण है। इन विविधताओं से सम्प्रेषण करने का कार्य भाषा करती है। भारत में कई परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं।

भारत में बोली जाने वाली प्रमुख परिवार की भाषाएँ:

परिवार	प्रमुख भाषाएँ
इंडो आर्यन परिवार	हिंदी, बंगाली, मराठी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, असमी, सिंहली
द्रविड़ परिवार	तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम,और गोंडी
आस्ट्रो–एशियाटिक परिवार	खासी, मुंडाध्कोल
चीनी–तिब्बती भाषा–परिवार	तिब्बत बर्मी और चीनी
ताई–कदाइ परिवार	कामरूपी प्राकृत
ग्रेट अंडमान परिवार	ओंगी भाषा और जारवा भाषा

दक्षिण भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएँ तमिल,तेलुगू, कन्नड और मलयालम को सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा जहाँ प्राचीन भाषा का दर्जा दिया गया हैवहीं हिंदी और अंग्रेजी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसके साथ आठवीं अनुसूचीमें भी प्रमुख रूप से बोली जाने वाली भाषाओं को शामिल किया गया है जो इस प्रकार हैं–

बांग्ला, बोड़ो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, और असमिया।

भारतीय भाषा हिंदी के विशेष संदर्भ में

इक्कीसवीं सदी में हिंदी उस स्थान तक नहीं पहुँच पायी है जहाँ तक पिछली पीढ़ी के लोगों ने पहुँचने की कल्पना की थी। ऐसा नहीं है कि स्थितियों में सुधार नहीं हो रहा है किंतु रफ्तार बहुत धीमी है। इक्कीसवीं सदी का अर्थ ही रफ्तार होता है क्योंकि यह सूचना और प्रौद्योगिकीकीसदीहै लेकिन हिंदी भाषा को एक ऐसी गाड़ी पर खींचा जा रहा है जिसमें इंजन के स्थान पर बैल को लगाया गया है। स्वाभाविक है कि रफ्तार धीमी होगी।

संविधान के भाग सत्रह में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी है और इसके उपबंधो के शीर्षकों को भी चार भागों में विभाजित किया गया है।[1]

अनुच्छेद	विषयवस्तु
संघ की भाषा	
343	संघ की राजभाषा
344	राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति
क्षेत्रीय भाषाएँ	
345	राज्य की राजभाषा अथवा भाषा
346	एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा
347	किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा	
348	सर्वोच्च न्यायालय और उच्चन्यायालयों में अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा
349	भाषा से संबंधित कुछ नियम–अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया
350	शिकायतनिवारण में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त भाषा
350ए	प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएँ
350बी	भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी
351	हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश

उपर्युक्त सूची इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि हिंदी के विकास के लिए संविधान में वह हर प्रकार की व्यवस्था की गयी है जिससे हिंदी का विकास हो सके किन्तु फिर चूक कहाँ हुई जिससे हिंदी इस स्थिति में पहुँच गयी।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

हिंदी की स्थिति में सुधार नहीं होने का एक प्रमुख कारण उपनिवेशवादी मानसिकता है। उपनिवेशवादी मानसिकता के संदर्भमें मैकाले के इस कथन की प्रासंगिकता आज भी है[2]

"हमें एक ऐसा वर्ग बनाने के लिए जी–जान से प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उन करोड़ो लोगों के बीच,जिन पर हम शासन करते हैं, दुभाषिए का काम कर सकेंयह उन लोगों का वर्ग हो जो रक्त और रंग की दृष्टि से भारतीय मगर रूचि विचारों आचरण तथा बुद्धि की दृष्टि से अंग्रेज हों।"

मैकाले की इस सोच को मूर्त रूप उन लोगों ने दिया जिन्हें अपनी परंपरा और विरासत से ज्यादा विश्वास उपनिवेशवादी विरासतों पर थी। मैकाले के इसी सोच ने भारत में मध्यवर्ग को भी जन्म दिया। यह वही वर्ग है, जिसे भारतीय से ज्यादा इंडियन कहलाना पसंद था और यह निरंतरता आज भी जारी है।

भारत में हिंदी को संघ की राजभाषा बनायी गयी है, किन्तु व्यवहार में इसका प्रयोग न के बराबर होता है। दसवीं पास छात्र प्रायः यह जान लेते हैं कि कानून बनाने का कार्य विधायिका का उस कानून को लागू करने का कार्य कार्यपालिका का और उस कानून को संरक्षण देने का कार्य न्यायपालिका करती है किन्तु हिंदी भाषा के साथ इन तीनों संस्थाओं ने हमेसा सौतेला व्यवहार किया है। इन तीनों संस्थाओं में बैठने वाले लोग विचार, आचरण और बुद्धि से भारतीय कम इंडियन ज्यादा हैं।

संसद में भेजे गए प्रतिनिधि को हिंदी की यादप्रायः दो बार ही आती है–

1. 14 सितंबर अर्थात हिंदी दिवस

2. चुनाव प्रक्रिया के समय हिंदी भाषा में विज्ञापन

14 सितंबर के दिन यह हिंदी भाषा को कुछ इस तरह मानकर चलते हैं जैसे हिंदी बोली नहीं जाती है बल्कि बोली जाती थी जबकि चुनाव के समय इन्हें लगता है कि सभी भारतीय भाषाएँ महान हैं। शायद इसलिए येनारे और विज्ञापन क्रमशः देशी भाषा में बोलते और लिखते हैं। मामला यहीं नहीं रूकता है जब चुनाव जीत कर जाते हैं तो शपथ ग्रहण से लेकर विदेशी दौरा तक इनका अंदाज कुछ इस तरह बदलता है कि भाषा में अंग्रेजियत, लिपि में रोमानियत और कपड़े में विलायतीपन आ जाता हैं। हमारे नेता अब भारत का नहीं बल्कि इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हिंदी के प्रसिद्ध कवि रघुवीर सहाय की यह कविता कुछ पंक्तियों में ही भारत का सच बयां करती हैं[3]

अंग्रेजी

अंग्रेजों ने अंग्रेजी पढ़ा कर प्रजा बनाई

अंग्रेजी पढ़ा कर अब हम राजा बना रहे हैं।

भारत में संसद सर्वोच्च होता है, यदि संसद भाषा के मुद्दे पर गंभीर होती है तो इसका प्रभाव सभी क्षेत्र पर पड़ेगा और व्यवस्था में सुधार भी हो सकती है।

हमारे देश के राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,प्रधानमंत्री आदि जब विदेश दौरा करते हैं तो ज्यादातर भाषन अंग्रेजीमें देते हैं किन्तु जिसके समक्ष भाषण देते हैं वह अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। उदाहरण के लिए जापान, चीन, दक्षिण कोरिया,रूस और अन्य देश के प्रमुख अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं।

यदि किसी देश के प्रमुखअंग्रेजी में बोलतें हैं तो व्यक्तिगत स्तर पर आप भी अंग्रेजी में बोलिए इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी अंग्रेजी से कूटनीति को दक्षता मिलेगी, किन्तु आप यह मत भूलिए कि आप भारत के प्रमुख हैं और जहाँ की जनता अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी समझती है,संविधान में अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी को महत्त्व दिया गया है। देश का नागरिक आप से उम्मीद करता है कि आप राजधर्म के साथ–साथ अपने मौलिक कर्तव्योंका भी पालन सत्यनिष्ठा के साथ करें। समस्या और अधिक गंभीर तब हो जाती है जब आपके समक्ष उपस्थित प्रमुख अपने देश की भाषा में संवाद करते हैं और आप अंग्रेजी में संवाद पर जोर देतेहैं। इससे आपकी काबिलियत को परखा नही जा सकता है।

यदि किसी देश का विकास सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी से होता तो भारत का स्थान विकास के क्षेत्र में पहले स्थान पर होता और अब तक भारत को विकासशील देश से विकसित देश बन जाना चाहिए था। यहाँ का किसान न आत्महत्या करता, न कुपोषित बच्चे होते, न बाल मजदूरी होती, न माँ को अपना पेट किराए पर लगाना पड़ता। जबकि जिन देशों (रूस, जापान, दक्षिण कोरिया आदि) में अंग्रेजी न के बराबर बोली जाती है फिर भी वे विकसित देशों की सूची में आते हैं। ये सभी देश भाषा को एक धरोहर के रूप में देखते हैं इसलिए अपनी भाषाओं को संरक्षण प्रदान करते हैं। इन सभी देशों मे अंग्रेजी बोली जाती है किन्तु सम्प्रेषण के स्तर पर न कि अंग्रेजी का प्रयोग शिक्षा, व्यापार और राजभाषा के रूप में होता है।

भारत में सर्वोच्च न्ययालय की भाषा भी अंग्रेजी है। यह भी एक विडंबना है कि इस देश में न्यायपाने के लिए भी अंग्रेजी की आवश्यकता है। संविधान की धारा 348 मेंकहा गया है कि सर्वोच्च न्यायलय की भाषा अंग्रेजी होगी किंतु यदि संसद चाहे तो इस सम्बन्ध में कानून बना सकती है। संविधान बनने के छः दशक बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुई है।

कार्यपालिका के क्षेत्र में भी स्थिति कुछ–कुछ विधायिका और न्यायपालिका जैसी है। राजभाषा आयोग की रिपोर्ट पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि स्थिति अनूकूल है किन्तु जमीनी यथार्थ कुछ अलग ही है।

राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम 2016–17 में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है[4] "भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवा के

अधिकारियों के लिए लाल बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान हिंदी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाता है, ताकि सरकारी कामकाज में वे इसका प्रयोग कर सकें। तथापि अधिकांश अधिकारी सेवा क्षेत्र में आनेके पश्चात सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों में सही संदेश नहीं जाता है।"

राजभाषा विभाग की यह रिपोर्ट नौकरशाहों का हिंदी के प्रति रवैये को दर्शाता है। बाबू लोग हिंदी को पहले बोलना फिर समझना और अंत में सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। इसके कई उदहारण हैं– हिंदी मीडिया के पत्रकार के साथ,दोहरा मापदंड अपनाते हैं। हिंदी प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में देना या फिर हिंगलिश का प्रयोग करना। या फिर कभी यह कह देना – "I am from Tamilnadu so i can't speak Hindi" यह वाक्य राजभाषा की भारत में स्थिति की समस्या को बयां करती है।

भारत में 1990 का वर्ष हिंदी भाषा के लिए काफी महत्त्वपूर्ण रहा क्योंकि इसी वर्ष भारत में भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का दौर शरू हुआ।

1990 के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाओं का स्तर बहुत निचे लूढ़का। सरकार ने भाषा को संरक्षित करने के लिए कोई महत्त्वपूर्ण कदम नहीं उठाए।स्थिति कुछ इस तरह बदली कि हिंदी और भारतीय भाषाओं में शिक्षा को गवारु कहा गया तो वहीं दूसरी तरफ हिंदी को विज्ञापन और धारावाहिक की भाषा बना दिया गया। ऐसा नहीं है कि यह स्थिति पहले नहीं हुई थी। इतिहास में एक घटना बार–बार घटती है।

प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र अंग्रेजी के संबंध में लिखते हैं5– "सस्ते क्लर्कों की संख्या बढ़ाने पर जोर देने के फलस्वरूप स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक शिक्षा दी जाने लगी, जिससे वहाँ शिक्षा प्राप्त करने वालों को कंपनी के प्रशासन में काम करने लायक बनाया। साथ–साथ इन संस्थानों ने अंग्रेजी पर जोर दिया जो स्वामियों और प्रशासन की भाषा थी। अंग्रेजी की शिक्षा नीति का एक अन्य प्रयोजन इस धारणा से निकला था कि शिक्षित भारतीय इंग्लैंड में बनी वस्तुओं के बाजार का भारत में विस्तार करेंगे।" यह नीति आज भी कुछ उसी तरह से कार्य कर रही है जैसे उन्नीसवीं सदी में कार्य कर रही थी। विपिन चंद्र द्वारा लिखित उपर्युक्त कथन की प्रासंगिकता आज भी है।

भूमंडलीकरण की एकल भाषा नीति ने लोकतंत्र की भी परिभाषा बदल दी है। शायद इसलिए राहुल सांकृत्यान के इस कथन की प्रासंगिकता कम होती दिखाई देती है[6] संघ की भाषा वही हो सकती है जिससे देश के बहुसंख्यक लोग परिचित हो और जिसके शब्द में प्रादेशिक भाषाओं के बहुत अधिक शब्द हों।

इसी दशक में डिजिटल मीडिया का भी जन्म हुआ जिसने रात–दिन,सुबह–शाम हिंदी के रूप को बिगाड़ा और यह साबित कर दिया कि हिंदी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनमानस ने भी इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। बच्चों को हिंदी भाषा और भारतीय भाषा के स्थान पर अंग्रेजी में शिक्षा मिलने लगी।

नई शिक्षा व्यवस्था ने रिश्ते की परिभाषा, त्यौहार और रोजमर्रा में उपयोग होने वाले शब्दों को भी बदल डाला।

उदहारण के लिए– ताऊ, काका, फूफा, चाचा, मामा, सभी अंकल हो गए। मौसी, चाची, फुआ, काकी सभी आंटी हो गयी। मनुष्य की बात छोड़िये लोगों ने अपने पालतू जानवरों का भी नाम बदल डाला।शेरू कुत्ता अब फोक्सी, डोडो, पैच आदि हो गया। बड़ा भाई छोटा भाई सभी ब्रो हो गये। ईद, दिवाली, होली, पोंगल,उगादी के स्थान पर नए–नए त्यौहारों का आगमन हुआ।

अंग्रेजी का भूत लोगों पर कुछ इस तरह चढ़ा कि अपने बच्चे पर भी भाषिक हिंसा से बाज नही आते हैं। जैसे– 3 वर्ष का बच्चा जब अपनी माँ से कुछ खाने के लिए मांगता है, तो माँ कहती है Baby first say in English then will give you.

निष्कर्ष –

हम यह कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के विकास में गति देने के लिए विधायिका को आगे आना होगा।हिंदी के सुधार के लिए सरकार को भाषा की राजनीति और औपनिवेशिक मानसिकता को त्यागकर भाषा के विकास पर ध्यान देना होगा ताकि हिंदी बैलगाड़ी से उतरकर हवाई सफर करे, तभी हिंदी अंतरराष्ट्रीय भाषा बन सकती है। मंजिल अभी दूर है लेकिन हमें आशा भी नहीं छोड़नी चाहिए।

संदर्भ सूची–

1. पृष्ठ संख्या 58.3, एम. लक्ष्मीकांत, भारत की राजव्यवस्था, चतुर्थ संस्करण
2. पृष्ठ संख्या 112, विपिन चंद्र, आधुनिक भारत का इतिहास,संस्कारण 2015
3. पृष्ठ संख्या 149, रघुवीर सहाय, प्रतिनिधि कविताएँ, पाँचवी आवृति :2014
4. पृष्ठ संख्या 6, वार्षिक कार्यक्रम 2016–2017 राजभाषा आयोग, गृह मंत्रालय भारत सरकार (http%//www-rajbhasha-nic-in/pdf/ap20162017-pdf)
5. पृष्ठ संख्या 112, विपिन चंद्र, आधुनिक भारत का इतिहास,संस्करण 2015
6. पृष्ठ संख्या 9,राहुल सांकृत्यान, राष्ट्रभाषा हिंदी,पहली आवृति 2004

RRIJM 2015, All Rights Reserved

सहायक ग्रंथ–

1. डॉ. भोलानाथ तिवारी,भाषा विज्ञान, (2016) किताब महल,इलाहाबाद
2. विपिन चंद्र,आधुनिक भारत का इतिहास,(2015) ओरियंट ब्लैकसवान प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद
3. एम. लक्ष्मीकांत, भारत की राजव्यवस्था, टाटा म्क्ग्रव हिल एडुकेशन, नई दिल्ली
4. रघुवीर सहाय, प्रतिनिधि कविताएँ, पाँचवी आवृति :2014 राजकमल प्रकाशन,नाई दिल्ली
5. वार्षिक कार्यक्रम 2016–2017 राजभाषा आयोग, गृह मंत्रालय भारत सरकार (http%//www-rajbhasha-nic-in/pdf/ap20162017-pdf)
6. राहुल सांकृत्यान, राष्ट्रभाषा हिंदी, पहली आवृति – 2004
7. बीबीसी हिंदी
8. भोलानाथ तिवारी,हिंदी भाषा का इतिहास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली

RRIJM 2015, All Rights Reserved